प्रेषक,

संख्या: 1/793/12-5-2014-84/2014

सर्वजीत राम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2015

विषय: प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना) अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों हेतु ट्रैक्टर क्रय किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0/738 जी/रा0प्रा0/2014-15, दिनांक 23-9-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष-103 बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 3553050/- (रू0 पैंतीस लाख तिरपन हजार पचास मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तूरखेड़ा (रामपुर) टिसौरा (गाजीपुर), गहदों खण्ड-कटियार (लखनऊ) पवांया खण्ड- कटियार (लखनऊ) तिलन प्रथम खण्ड रहीमाबाद (लखनऊ) के राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर प्रतिस्थापन के आधार पर प्रत्येक के लिए एक-एक ट्रैक्टर कुल 05 ट्रैक्टरों का क्रय यू0पी0 एग्रो द्वारा प्रेषित दरों पर किये जाने हेतु मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम

http://sirsanadesh.up.nic.in

इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक कृषि निदेशालय द्वारा तैयार किया जायेगा तथा देयक कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । कृषि निदेशक, आहरित धनराशि का डी0डी0 बनवाकर संबंधित संस्था को उपलब्ध करायेंगे ।

4- इस अनुदान पर क्रय संबंधी समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना) के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव ।

संख्या- 793(1)/12-5-2014 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड , 22 बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ ।

3- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

5- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in